रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 659] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 27, 2017/श्रावण 5, 1939
No. 659] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 27, 2017/SRAVANA 5, 1939

IndiaCode

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई , 2017

सा.का.नि. 955(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (निगमन) नियम, 2014 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (निगमन) दूसरा संशोधन नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (निगमन) नियम, 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में, नियम 28 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"28. रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का उसी राज्य के भीतर स्थानांतरण करना.—(1) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय को उसी राज्य में एक कंपनी रजिस्ट्रार के अधिकार क्षेत्र से दूसरे कंपनी रजिस्ट्रार के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित करने के लिए प्रादेशिक निदेशक से पुष्टि प्राप्त करने का आवेदन कंपनी द्वारा प्रादेशिक निदेशक को फीस और निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ **प्ररूप संख्या आईएनसी-23** में फाइल किया जाएगा,

अर्थात् :—

(क) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के स्थानांतरण के लिए बोर्ड संकल्प;

(ख) कंपनी के सदस्यों द्वारा रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के स्थानांतरण का अनुमोदन देते हुए विशेष संकल्प;

(ग) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किन्ही दो निदेशकों द्वारा इस आशय का घोषणा पत्र, कि कंपनी ने अपने श्रमिकों को देय राशि के भुगतान में चूक नहीं की है और प्रस्तावित स्थानांतरण के लिए इसके लेनदारों की सहमति है या इसके भुगतान के लिए अपेक्षित प्रावधान किए गए हैं;

(घ) घोषणा पत्र कि न्यायालय, जहां अभियोजन के मामले लंबित हैं, के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन की मांग नहीं की जाएगी;

(ङ) प्रस्तावित "स्थानांतरण" और यह कि प्रस्तावित स्थानांतरण के परिणामस्वरूप नियोक्ता के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा,

के आशय से राज्य के मुख्य सचिव को दी गई सूचना की स्वीकृत प्रतिलिपि।"

(ख) मूल नियमों में, नियम 30 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"30. रजिस्ट्रीकृत कार्यालय को एक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र से अन्य राज्य में स्थानांतरित करना

(1) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के स्थान को एक राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र से अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में स्थानांतरित करने के संबंध में ज्ञापन में परिवर्तन करने हेतु अनुमोदन प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन आवेदन, फीस और निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ केंद्रीय सरकार को **प्ररूप संख्या आईएनसी-23** में फाइल किया जाएगा, अर्थात्:—

(क) प्रस्तावित परिवर्तनों के साथ संगम ज्ञापन की एक प्रति;

(ख) साधारण अधिवेशन जिसमें ऐसे परिवर्तन को प्राधिकृत करते हुए संकल्प पारित किया गया था, के कार्यवृत्त की एक प्रति जिसमें इस संकल्प के पक्ष या विरोध में दिए गए मतों की संख्या के ब्यौरे दिए जाएं;

(ग) यथास्थिति बोर्ड संकल्प या मुख्तारनामा या निष्पादित वकालतनामा की एक प्रतिलिपि।

(2) आवेदन फाइल करने की तारीख से पहले अंतिम व्यवहार्य तारीख, जो एक माह से अधिक न हो, को तैयार की गई लेनदारों और डिबेंचरधारकों की सूची आवेदन के साथ लगाई जाएगी जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे दिए जाएंगे, अर्थात्:—

(क) कंपनी के प्रत्येक लेनदार और डिबेंचरधारक के नाम और पते;

(ख) ऋण, दावों या देयताओं के संबंध में उन्हें देय राशि की प्रकृति और मात्रा:

परंतु कि लेनदारों और डिबेंचरधारकों की सूची जिसके साथ कंपनी के कंपनी सचिव, यदि हो, और कंपनी के कम-से-कम दो निदेशकों, जिनमें से एक प्रबंध निदेशक, यदि हो, द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा-पत्र जिसमें यह बताया जाए कि (i) उन्होंने कंपनी के मामलों की पूरी जांच की है और ऐसा करने के बाद यह पाया है कि लेनदारों की सूची सही है और सूची में दिए गए ऋणों या आकस्मिकता के आधार पर देय दावों या सुनिश्चित न किए गए प्राक्कलित मूल्य ऐसे ऋणों और दावों के मूल्यों का उचित आकलन हैं और यह कि उनकी जानकारी में कंपनी पर अन्य कोई ऋण या दावे देय नही है, और

(ii) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप किसी भी कर्मचारी की छंटनी नहीं की जाएगी और कंपनी द्वारा संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के मुख्य सचिव को आवेदन फाइल किया जाएगा।

(3) सभी लेनदारों की एक सम्यक् प्रमाणीकृत प्रति कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में रखी जाएगी और कोई व्यक्ति जो उसके निरीक्षण का इच्छुक हो, साधारण कार्यकाल समय के दौरान किसी भी समय इसे देख सकता है और कंपनी को अनधिक दस रुपये प्रति पृष्ठ के भुगतान पर उसका उद्धरण ले सकता है।

(4) आवेदन के साथ रजिस्ट्रार और राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के मुख्य सचिव, जहां आवेदन करने के समय रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है को पूर्ण उपाबंधों सहित आवेदन की प्रति तामील करने की अभिस्वीकृति की एक प्रतिलिपि संलग्न की जाएगी।

IndiaCode

(5) कंपनी प्ररूप संख्या आईएनसी-23 में आवेदन फाइल करने की तारीख से कम से कम तीस दिवस पहले करेगी:—

(क) वह राज्य, जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है, में व्यापक परिचालन वाले क्षेत्रीय भाषा के क्षेत्रीय समाचार पत्र और अंग्रेजी भाषा के अंग्रेजी समाचारपत्र में प्ररूप संख्या 26 में विज्ञापन देगी:

परन्तु विज्ञापन की एक प्रतिलिपि प्रकाशित होने के तत्काल बाद केंद्रीय सरकार को तामील की जाएगी।

(ख) रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा मय अभिस्वीकृति रसीद के व्यक्तिगत नोटिस जो खंड (क) में बताया गया है कंपनी के प्रत्येक डिबेंचर धारक और लेनदार को तामील कराया जाएगा और

(ग) रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा के साथ पावती रसीद के एक नोटिस मय आवेदन की प्रति रजिस्ट्रार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को भेजी जाएगी। यदि वह सूचीबद्ध कंपनी और विनियामक निकाय को यदि वह उस समय किसी विशेष अधिनियम या विधि के अन्तर्गत विनियमित होती है।

(6) आवेदन से संलग्न विज्ञापन की सम्यक् प्राधिकृत प्रति और उपनियम (5) के अन्तर्गत जारी सूचना आवेदक द्वारा प्राप्त प्रत्येक आपत्ति की प्रति और कंपनी द्वारा सारणीबद्ध विवरण साथ में प्रति उत्तर जो या तो इलेक्ट्रॉनिक ढंग या वास्तविक रूप से विज्ञापन और नोटिस जो उपनियम (5) के अन्तर्गत जारी किए, के प्रत्युत्तर में प्राप्त हुए हैं।

(7) जहां कोई आक्षेप, किसी व्यक्ति द्वारा विज्ञापन या नोटिस जो उपनियम (5) के अन्तर्गत या अन्यथा प्रत्युत्तर में प्राप्त नहीं होते हैं, तो आवेदन को आदेश हेतु बिना सुनवाई के रखा जाएगा और आवेदन की प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर आवेदन को या तो अनुमोदन करने या अस्वीकार करने का आदेश पारित किया जाएगा।

(8) जहां आपत्ति प्राप्त हुई है,—

(i) केन्द्रीय सरकार सुनवाई या सुनवाइयां, जैसा अपेक्षित हो, करेगी और कंपनी को एक शपथपत्र सुनवाई के दौरान सम्मति बनने को अभिलेख करने का आदेश देगी, इसके निष्पादन पर केन्द्रीय सरकार आवेदन फाइल करने कें साठ दिन के भीतर स्थानान्तरण की सम्मति का आदेश पारित करेगी ।

(ii) जहां सुनवाई में कोई सर्वसम्मित नहीं बनती है तो कंपनी एक शपथपत्र फाइल करेगी जिसमें आक्षेप को निश्चित समय सीमा में समाधान का रीति विनिर्दिष्ट करेगी जिसमें आपत्तिकर्ता द्वारा उसको विधिक उपचार को प्राप्त करने हेतु मूल क्षेत्राधिकार सम्यक् रूप से सुरक्षित होगा, यदि रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थानांतरित किया जाता है उसके निष्पादन पर केन्द्रीय सरकार आवेदन फाइल करने के साठ दिन के भीतर पुष्टि या फेर-बदल के निरस्त करने का आदेश पारित किया जाएगा।

(9) केन्द्रीय सरकार द्वारा परिवर्तिन की पुष्टि का आदेश ऐसी शर्तों और निबंधनों पर होगा यदि कोई हो, और जिसे वह ठीक समझे और उसमें लागत का इस तरह का आदेश शामिल हो सकता है, जैसा वह समुचित समझे:

परन्तु रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का स्थानान्तरण अनुज्ञा नहीं की जाएगी यदि कोई जांच, निरीक्षण या अन्वेषण कंपनी के विरुद्ध आरंभ किया गया है या अधिनियम के अधीन कोई अभियोजन कंपनी के विरुद्ध लंबित है।

(10) ऐसी जांच, निरीक्षण या अन्वेषण पूरा होने के परिणामस्वरूप जहां कोई अभियोजन परिकल्पित नहीं है या कोई अभियोजन लंबित नहीं है, रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का स्थानान्तरण करने की अनुज्ञा दी जाएगी।"

4. मूल नियमों में, प्ररूप संख्या आईएनसी-23 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :—

IndiaCode

प्ररूप संख्या आईएनसी-23

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 12(5) और धारा 13(4) तथा कंपनी नियम 2014 के अधीन बने नियम 28 और 30 के अनुसरण में]

सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में या उसी राज्य में एक रजिस्ट्रार से दूसरे रजिस्ट्रार को अधिकारिता में स्थानांतरित करने के लिए प्रादेशिक निदेशक के अनुमोदन के लिए आवेदन

प्ररूप की भाषा o **अंग्रेजी** o **हिंदी**

प्ररूप भरने के लिए निर्देश किट देखें।

1. *यह आवेदन रजिस्ट्रीकृत कार्यालय को स्थानांतरित करने के लिए है

o एक राज्य से दूसरे राज्य में

o उसी राज्य में लएक रजिस्ट्रार से दूसरे रजिस्ट्रार में

2. *(क) कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) □□□□

(ख) कंपनी की वैश्विक अवस्थिति संख्या (जीएलएन)

3. (क) कंपनी का नाम

(ख) कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता

(ग) वर्तमान कंपनी रजिस्ट्रार का नाम

4. * (क) उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम, जहां कंपनी का नया रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित किया जाएगा।

* (ख) नए कंपनी रजिस्ट्रार का नाम, जहां कंपनी का नया प्रस्तावित रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित किया जाएगा।

* (ग) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के स्थानांतरण के कारण

5.* (क) प्ररूप एमजीटी-14 की सेवा अनुरोध संख्या

*(ख) प्ररूप एमजीटी-14 भरने की तारीख

*(ग) विशेष संकल्प पारित किए जाने की तारीख

6. (क) जिस अधिवेशन में स्थानांतरण का निर्णय लिया गया था, उसमें उपस्थित सदस्यों के विवरण और उनके धारित शेयरों की संख्या

(i) सदस्यों की संख्या

(ii) उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या

IndiaCode

(ख) जिन सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया उनका ब्यौरा और उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या

(i) *सदस्यों की संख्या

(ii) उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या

(ग) जिन सदस्यों ने प्रस्ताव के विरोध में मत दिया उनका ब्यौरा और उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या

(i) *सदस्यों की संख्या

(ii) उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या

(घ) जिन सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया उनका ब्यौरा और उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या

(i) * सदस्यों की संख्या

(ii) उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या

IndiaCode

7 *(क) लेनदारों की कुल संख्या

*(ख) निक्षेपकर्ताओं की कुल संख्या

*(ग) डिबेंचरधारकों की कुल संख्या

(घ) उन आपत्तियों, यदि हों, का संक्षिप्त ब्यौरा, जो इस के प्रत्युत्तर में प्राप्त हुए हैं,

8. *क्या इस अधिनियम के अधीन कंपनी के विरुद्ध कोई अभियोजन लंबित है

Oहां Oनहीं

यदि हां, तो अभियोजन का संक्षिप्त ब्यौरा दें :

9. *क्या निम्नलिखित में से कोई इस अधिनियम के अधीन कंपनी के विरुद्ध प्रारंभ किया गया है

Oजांच Oनिरीक्षण Oअन्वेषण

यदि हां, तो जांच, निरीक्षण, अन्वेषण का संक्षिप्त ब्यौरा दें :

10 *क्या कंपनी ने पूर्ण उपाबंधों सहित आवेदन की प्रति रजिस्ट्रार और राज्य के मुख्य सचिव को तामील की है

Oहां Oनहीं

यदि हां, तो भेजने की तारीख का विनिर्दिष्ट करें :—

11. मामले के तथ्य नीचे दिए गए हैं :—

(कालानुक्रम में तथ्यों का एक संक्षिप्त विवरण दें, जिसमें प्रत्येक पैरा में यथा संभव पृथक मामला, तथ्य या अन्यथा दिया जाए)

संलग्नक

1. *संगम ज्ञापन की प्रति;	संलग्न करें
2. *परिवर्तन को अनुमोदित करने वाले विशेष संकल्प की प्रति;	संलग्न करें
3. *ऐसे परिवर्तन को प्राधिकृत करने वाले साधारण अधिवेशन के कार्यवृत्त की प्रति;	संलग्न करें
4. *मुख्तारनामा/वकालतनामा/बोर्ड संकल्प;	संलग्न करें
5. *कर्मचारियों की छटनी नहीं करने के संबंध में निदेशकों द्वारा घोषणा;	संलग्न करें
6. *रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के स्थानांतरण की सूचना हेतु समाचार-पत्र विज्ञापन की प्रति;	संलग्न करें
7. *रजिस्ट्रार, राज्य के मुख्य सचिव, सेबी या किसी अन्य नियामक प्राधिकारी (यदि लागू है तो) तामील करने का सबूत;	संलग्न करें
8. नियम 30 के उपनियम 2 के परंतुक के अनुसार विधिवत् सत्यापित लेनदारों या डिबेंचरधारियों की सूची	संलग्न करें
9. *आपत्तियों की प्रति (यदि कोई प्राप्त हुई है);	संलग्न करें
10. *वैकल्पिक संलग्नक, यदि हो, एमसीए पोर्टल (निवेशक शिकायत प्ररूप) में फाइल किए गए सहित	संलग्न करें
	संलग्न करें
	संलग्न करें

IndiaCode

घोषणा

मैं कंपनी के निदेशक मंडल की संकल्प संख्या तारीख द्वारा इस प्ररूप को हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किया गया हूं और घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप की विषय-वस्तु के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके तहत बने नियमों की सभी अपेक्षाओं और इस प्ररूप की विषय वस्तु और आनुषंगिक मामलों का अनुपालन किया गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि :

- इस प्ररूप में और इसके संलग्नकों में जो कुछ कहा गया है वह सत्य, सही और पूर्ण है और इस प्ररूप की विषय-वस्तु से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण सूचना छुपाई या गुप्त नहीं रखी गई है और कंपनी द्वारा रखे गए मूल दस्तावेजों के अनुरूप है।
- सभी आवश्यक संलग्नक इस प्ररूप के साथ पूर्ण और स्पष्ट रूप में संलग्न किए गए हैं।
- जिस मामले के संबंध में यह याचिका/आवेदन किया गया है, उस मामले के संबंध में किसी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकरण या किसी अन्य न्यायपीठ या बोर्ड के समक्ष कोई आवेदन, रिट याचिका या वाद फाइल नहीं किया गया है और न ही ऐसा कोई आवेदन, रिट याचिका या वाद उनमें से किसी के समक्ष लंबित है।
- कंपनी ने अपने कर्मचारियों के देय भुगतान में चूक नहीं की है और प्रस्तावित स्थानांतरण के लिए कंपनी को या तो अपने लेनदारों से सहमति प्राप्त है या उनके भुगतान के लिए कंपनी ने आवश्यक प्रावधान किए हैं।
- अभियोजन के मामले लंबित होने की स्थिति में कंपनी, न्यायालय के क्षेत्राधिकार में बदलाव की मांग नहीं करेगा।

निम्नलिखित द्वारा आंगुलिक हस्ताक्षरित किया जाना है

डीएससी बॉक्स

*पदनाम

*निदेशक की निदेशक पहचान संख्या; अथवा
प्रबंधक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी या मुख्य वित्त अधिकारी का डीआईएन या पैन; अथवा
कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या

टिप्पण : कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और 449 के उपाबंधों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिनमें क्रमश: मिथ्याकथन/प्रमाण-पत्र के लिए दंड और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का उपाबंध है।

संशोधित करें प्ररूप जांचें पूर्व-जांच प्रस्तुत करें

IndiaCode

कार्यालय उपयोग के लिए

ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन) ई-प्ररूप फाइल करने की तारीख (दिन/माह/वर्ष)

प्राधिकृत अधिकारी के आंगुलिक हस्ताक्षर जमा पुष्टि करें

इस ई-प्ररूप को अनुमोदित किया जाता है

इस ई-प्ररूप को रद्द किया जाता है

प्रस्तुत करने की पुष्टि

हस्ताक्षर की तारीख (दिन/माह/वर्ष)"

5. मूल नियमों में, प्ररूप संख्या आईएनसी-26, के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

प्ररूप संख्या आईएनसी-26

[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

केन्द्रीय सरकार के समक्ष

_____ क्षेत्र

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (झ)छ के खंड (क)छ के मामले में

और

_____ लि. जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय _____स्थित है, के मामले में,

_____याचिकाकर्ता

IndiaCode

आम जनता को यह नोटिस दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय "_____ राज्य" से "_____ राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए तारीख_____ को आयोजित वार्षिक साधारण अधिवेशन/असाधारण साधारण अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो **निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है** या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर _____पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पते पर भी भेजेगा :

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से
.....
निदेशक
तारीख
स्थान

टिप्पण : जो लागू न हो उसे काट दें।"

[फा. सं. 1/13/2013-सीएल-V]
अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल अधिसूचना दिनांक 31 मार्च, 2014 की सा.का.नि. संख्या 250(अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उप-खंड(i) में प्रकाशित की गई थी और इसके पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित की गई थी :—

क्रम संख्या	अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तारीख
1.	सा.का.नि. 349(अ)	01-05-2015
2.	सा.का.नि. 442(अ)	29-05-2015
3.	सा.का.नि. 99(अ)	22-01-2016
4.	सा.का.नि. 336(अ)	23-03-2016
5.	सा.का.नि. 743(अ)	27-07-2016
6.	सा.का.नि. 936(अ)	01-10-2016
7.	सा.का.नि. 1184(अ)	29-12-2016
8.	सा.का.नि. 70(अ)	25-01-2017

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2017

G.S.R. 955(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Incorporation) Rules, 2014, namely: —

1. (1) These rules may be called the Companies (Incorporation) Second Amendment Rules, 2017.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

2. In the Companies (Incorporation) Rules, 2014 (hereinafter referred to as the principal rules), for rule 28, the following rule shall be substituted, namely:—

"28. Shifting of registered office within the same State. —(1) An application seeking confirmation from the Regional Director for shifting the registered office within the same State from the jurisdiction of one Registrar of Companies to the jurisdiction of another Registrar of Companies, shall be filed by the company with the Regional Director in **Form No.INC.23** along with the fee and following documents, —

(a) Board Resolution for shifting of registered office;
(b) Special Resolution of the members of the company approving the shifting of registered office;
(c) a declaration given by the Key Managerial Personnel or any two directors authorised by the Board, that the company has not defaulted in payment of dues to its workmen and has either the consent of its creditors for the proposed shifting or has made necessary provision for the payment thereof;
(d) a declaration not to seek change in the jurisdiction of the Court where cases for prosecution are pending;
(e) acknowledged copy of intimation to the Chief Secretary of the State as to the proposed shifting and that the employees interest is not adversely affected consequent to proposed shifting".

3. In the principal rules, for rule 30, the following rule shall be substituted, namely: —

"30. Shifting of Registered Office from one State or Union Territory to another State

(1) An application under sub-section (4) of section 13, for the purpose of seeking approval for alteration of memorandum with regard to the change of place of the registered office from one State Government or Union territory to another, shall be filed with the Central Government in **Form No. INC.23** along with the fee and shall be accompanied by the following documents, namely: ―

(a) a copy of Memorandum of Association, with proposed alterations;

(b) a copy of the minutes of the general meeting at which the resolution authorising such alteration was passed, giving details of the number of votes cast in favour or against the resolution;

(c) a copy of Board Resolution or Power of Attorney or the executed Vakalatnama, as the case may be.

(2) There shall be attached to the application, a list of creditors and debenture holders, drawn up to the latest practicable date preceding the date of filing of application by not more than one month, setting forth the following details, namely:-

(a) the names and address of every creditor and debenture holder of the company;

(b) the nature and respective amounts due to them in respect of debts, claims or liabilities:

Provided that the list of creditors and debenture holders, accompanied by declaration signed by the Company Secretary of the company, if any, and not less than two directors of the company, one of whom shall be a managing director, where there is one, stating that **(i)** they have made a full enquiry into the affairs of the company and, having done so, have concluded that the list of creditors are correct, and that the estimated value as given in the list of the debts or claims payable on a contingency or not ascertained are proper estimates of the values of such debts and claims and that there are no other debts of or claims against the company to their knowledge, and

(ii) no employee shall be retrenched as a consequence of shifting of the registered office from one state to another state and also there shall be an application filed by the company to the Chief Secretary of the concerned State Government or the Union territory.

(3) A duly authenticated copy of the list of creditors shall be kept at the registered office of the company and any person desirous of inspecting the same may, at any time during the ordinary hours of business, inspect and take extracts from the same on payment of a sum not exceeding ten rupees per page to the company.

(4) There shall also be attached to the application a copy of the acknowledgment of service of a copy of the application with complete annexures to the Registrar and Chief Secretary of the State Government or Union territory where the registered office is situated at the time of filing the application.

(5) The company shall, not more than thirty days before the date of filing the application in Form No. INC.23 -

(a) advertise in the **Form No. INC.26** in the vernacular newspaper in the principal vernacular language in the district and in English language in an English newspaper with the widest circulation in the tate in which the registered office of the company is situated:

Provided that a copy of advertisement shall be served on the Central Government immediately on its publication.

(b) serve, by registered post with acknowledgement due, individual notice, to the effect set out in clause (a) on each debenture-holder and creditor of the company; and

(c) serve, by registered post with acknowledgement due, a notice together with the copy of the application to the Registrar and to the Securities and Exchange Board of India, in the case of listed companies and to the regulatory body, if the company is regulated under any special Act or law for the time being in force.

(6) There shall be attached to the application a duly authenticated copy of the advertisement and notices issued under sub-rule (5), a copy each of the objection received by the applicant, and tabulated details of responses along with the counter-response from the company received either in the electronic mode or in physical mode in response to the advertisements and notices issued under sub-rule (5).

(7) Where no objection has been received from any person in response to the advertisement or notice under sub-rule (5) or otherwise, the application may be put up for orders without hearing and the order either approving or rejecting the application shall be passed within fifteen days of the receipt of the application.

(8) Where an objection has been received,

(i) the Central Government shall hold a hearing or hearings, as required and direct the company to file an affidavit to record the consensus reached at the hearing, upon executing which, the Central Government shall pass an order approving the shifting, within sixty days of filing the application.

(ii) where no consensus is reached at the hearings the company shall file an affidavit specifying the manner in which objection is to be resolved within a definite time frame, duly reserving the original jurisdiction to the objector for pursuing its legal remedies, even after the registered office is shifted, upon execution of which the Central Government shall pass an order confirming or rejecting the alteration within sixty days of the filing of application.

(9) The order passed by the Central Government confirming the alteration may be on such terms and conditions, if any, as it thinks fit, and may include such order as to costs as it thinks proper:

Provided that the shifting of registered office shall not be allowed if any inquiry, inspection or investigation has been initiated against the company or any prosecution is pending against the company under the Act.

(10) On completion of such inquiry, inspection or investigation as a consequence of which no prosecution is envisaged or no prosecution is pending, shifting of registered office shall be allowed".

4. In the principal rules, for Form No.INC-23, the following form shall be substituted**,** namely:-

FORM NO. INC-23
[Pursuant to section 12(5) and 13(4) of the Companies Act, 2013 and rule 28 and 30 of the Companies Rules, 2014]

सत्यमेव जयते

Application to the Regional Director for approval to shift the Registered Office from one state to another state or from jurisdiction of one Registrar to another Registrar within the same State

Form language o English o Hindi
Refer the instruction kit for filing the form.

1. *Application is for shifting the Registered Office from

 o One state to another state

 o One registrar to another registrar within the State

Pre-fill

2. (a) *Corporate identity number (CIN) of company
 (b) Global location number (GLN) of company

3. (a) Name of the company
 (b) Address of the registered office of the company

 (c) Name of the existing ROC

4. *(a) Name of the state/Union territory where the new registered office of the company would be situated

 *(b) Name of the office of new ROC where the new proposed registered office of the company would be situated

 *(c) Reasons for shifting the registered office

5. *(a) Service request number of Form MGT-14
 *(b) Date of filing Form MGT-14
 *(c) Date of passing the special resolution

6. (a) Details of members present at the meeting where the decision of shifting was taken and number of shares held by them
 (i) Number of members
 (ii) Number of shares held by them

 (b) Details of the members who voted in favour of the proposal and number of shares held by them
 (i) *Number of members
 (ii) Number of shares held by them

 (c) Details of the members who voted against the proposal and number of shares held by them
 (i) *Number of members
 (ii) Number of shares held by them

 (d) Details of members who abstained from voting and number of shares held by them
 (i) *Number of members
 (ii) Number of shares held by them

7. *(a) Total Number of creditors

 *(b) Total Number of depositors

IndiaCode

*(c) Total Number of debenture holders

(d) Brief details of the objections, if received any in response to the advertisement

8. *Whether any prosecution is pending against the company under the Act
o Yes o No
If yes, Give brief details of the prosecution

9. *Whether any of the following is initiated against the company under the Act
o inquiry o inspection o investigation

If yes, Give brief details of the inquiry, inspection, investigation

IndiaCode

10. *Whether the company has serviced the copy of the application with complete annexures with the Registrar and the chief secretary of the state
o Yes o No

If yes, specify the date of service

11. Facts of the case are given below

(Give a concise statement of facts in a chronological order, each paragraph containing as nearly as possible a separate issue, fact or otherwise)

Attachments

1. Copy of Memorandum of Association; Attach
2. *Copy of special resolution sanctioning alteration; Attach
3. *Copy of the minutes of the general meeting authorizing such alteration; Attach
4. *Power of attorney/vakalatnama/Board resolution; Attach
5. Declaration by directors about no retrenchment of employees; Attach
6. Copy of newspaper advertisement for notice of shifting the registered office; Attach
7. *Proof of service of the application to the Registrar, Chief secretary of the state, SEBI or any other regulatory authority (if applicable); Attach

8. List of creditors or debentureholders duly verified, as per proviso to sub rule (2) to Rule 30 — Attach

9. Copy of objections (if received any); — Attach

10. Optional attachment(s), if any including those filed in MCA portal (investors complaint form). — Attach

Declaration

I am authorized by the Board of Directors of the Company vide resolution no. * Dated * to sign this form and declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I further declare that:

□ Whatever is stated in this form and in the attachments thereto is true, correct and complete and no information material to the subject matter of this form has been suppressed or concealed and is as per the original records maintained by the company.

□ All the required attachments have been completely and legibly attached to this form

□ Any application, writ petition or suit had not been filed regarding the matter in respect of which this petition/application has been made, before any court of law or any other authority or any other Bench or the Board and not any such application, writ petition or suit is pending before any of them.

□ the company has not defaulted in payment of dues to its workmen and has either the consent of its creditors for the proposed shifting or has made necessary provision for the payment thereof.

□ the company shall not seek change in the jurisdiction of the Court where cases for prosecution are pending.

DSC BOX

***To be digitally signed by**

*Designation

*Director identification number of the director; or DIN or PAN of the manager or CEO or CFO; or Membership number of the Company secretary

Note: Attention is drawn to provisions of Section 448 and 449 which provide for punishment for false statement / certificate and punishment for false evidence respectively.

Modify | Check Form | Prescrutiny | Submit

For office use only :

Affix filing details

eForm Service request number (SRN) eForm filing date (DD/MM/YYYY)

Digital signature of the authorising officer

This e-Form is hereby approved

This e-Form is hereby rejected

Confirm Submission

Date of signing (DD/MM/YYYY)

5. In the principal rules, for Form No.INC-26, the following form shall be substituted**,** namely:-

"Form No. INC-26

[Pursuant to rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014]

Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the company from one state to another

Before the Central Government

_____Region

In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

AND

In the matter of _____ Limited having its registered office at _____, Petitioner

Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Annual General Meeting/ Extra ordinary general meeting held on _____ to enable the company to change its Registered Office from "State of _____" to "State of _____".

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver **either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form** or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the the Regional Director at the address _____within fourteen days of the date of publication of this notice with a copy to the applicant company with a copy of the applicant company at its registered office at the address mentioned below:

For and on behalf of the Applicant
……
Director
Date……..
Place……..

Note:— Strike off whichever is not applicable.

[F. No. 1/13/2013 CL-V]
AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 250(E) dated 31st March, 2014 and subsequently amended *vide* the following notifications:-

Serial Number	Notification Number	Notification Date
1.	G.S.R. 349(E)	01-05-2015
2.	G.S.R. 442(E)	29-05-2015
3.	G.S.R. 99(E)	22-01-2016
4.	G.S.R.336(E)	23-03-2016
5.	G.S.R.743(E)	27-07-2016
6.	G.S.R.936(E)	01-10-2016
7.	G.S.R.1184(E)	29-12-2016
8.	G.S.R. 70(E)	25-01-2017

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.07.29 17:16:41 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.